अक्टूबर 2022 ■ वर्ष : 32 ■ अंक : 2 ₹125

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

नवोदित प्रतियोगियों हेतु सिविल सेवा

रणनीति विशेषांक

विशेषज्ञ सलाह : वैकल्पिक विषय

● दर्शनशास्त्र ● भूगोल ● हिंदी ● लोक प्रशासन ● राजनीति विज्ञान ● मानवशास्त्र

अखिल मूर्ति
संस्कृति आईएएस

धर्मेन्द्र सर
पतंजलि आईएएस

चंदन प्रिय
परफेक्शन आईएएस

अजय अनुराग
विज़्डम आईएएस

श्रीमन नारायण सिंह
सृजन आईएएस एकेडमी

रजनीश कुमार
मेधा आईएएस

एन.के. वैद
वैद आईसीएस

सामयिक आलेख

- वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य : विद्यमान चुनौतियां तथा व्यापक संभावनाओं के क्षेत्र
- भारत में बाढ़ आपदा प्रबंधन : एकीकृत, बहु-आयामी एवं समावेशी रणनीति की आवश्यकता
- तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण : अनिवार्यताएं एवं निहितार्थ
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी : भारत के हित, जुड़ाव तथा निहितार्थ
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती
- पेसा अधिनियम : जनजातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन का आधार
- फ्रीबीज बनाम कल्याणकारी उपाय : समालोचनात्मक विश्लेषण
- चीन-ताइवान संकट : वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा वैश्विक निहितार्थ
- भारत में पेटेंट व्यवस्था : प्रावधान, चुनौतियां एवं समाधान
- भारत का अद्यतन एनडीसी : महत्व एवं चुनौतियां
- एंडोसल्फान : कुप्रभाव तथा उत्पन्न चुनौतियां

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022

राज्य विशेष : अति संभावित प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

विषय विमर्श

सुभेद्य वर्गों की औपचारिक वित्त तक पहुंच

आर्थिक सशक्तीकरण हेतु वित्तीय समावेशन आवश्यक

अक्टूबर 2022 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की चहेती पत्रिका

अक्टूबर 2022

❑ वर्ष 32 ❑ अंक 2

इस अंक में

110 नवोदित प्रतियोगियों हेतु

सिविल सेवा रणनीति विशेषांक

विशेषज्ञ सलाह

139 वैकल्पिक विषय

1. समग्र रणनीति (अखिल मूर्ति, संस्कृति आईएएस)
2. दर्शनशास्त्र (धर्मेन्द्र सर, पतंजलि आईएएस)
3. हिंदी (अजय अनुराग, विन्डम आईएएस)
4. राजनीति विज्ञान (रजनीश कुमार, मेधा आईएएस)
5. लोक प्रशासन (श्रीमन नारायण सिंह, सृजन आईएएस एकेडमी)
6. भूगोल (चंदन प्रिय, परफेक्शन आईएएस)
7. मानवशास्त्र (एन के वैद, वैद आईसीएस)

सामयिक आलेख

06 वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य : विद्यमान चुनौतियां तथा व्यापक संभावनाओं के क्षेत्र
09 भारत में बाढ़ आपदा प्रबंधन : एकीकृत, बहु-आयामी एवं समावेशी रणनीति की आवश्यकता
12 तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण : अनिवार्यताएं एवं निहितार्थ
15 हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी : भारत के हित, जुड़ाव एवं निहितार्थ
18 भारत में मानसिक स्वास्थ्य : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती

विषय विमर्श

20 सुभेद्य वर्गों की औपचारिक वित्त तक पहुंच : आर्थिक सशक्तीकरण हेतु वित्तीय समावेशन आवश्यक

इन फोकस

23 पेसा अधिनियम : जनजातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन का आधार
25 फ्रीबीज बनाम कल्याणकारी उपाय : समालोचनात्मक विश्लेषण
26 चीन-ताइवान संकट : वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा वैश्विक निहितार्थ
28 भारत में पेटेंट व्यवस्था : प्रावधान, चुनौतियां एवं समाधान
30 भारत का अद्यतन एनडीसी : महत्व एवं चुनौतियां
31 एंडोसल्फान : कुप्रभाव तथा उत्पन्न चुनौतियां

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 159

■ राज्य विशेष : अति संभावित प्रश्न
■ सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय 33-44

33 नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2022
34 विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954
35 सामाजिक परिवर्तन के लिए नागरिकों के मार्गदर्शक
36 भारत के 14वें उपराष्ट्रपति : जगदीप धनखड़
36 सेंट्रल डिप्युटेशन के लिए अधिकारियों की कमी
38 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
38 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक
39 भारत में सहकारी संघवाद तथा नीति आयोग
40 नमस्ते योजना
41 निदान पोर्टल का शुभारंभ : चुनावी बांड योजना
42 राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)
42 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन
43 पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना
43 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022
44 न्यूज बुलेट्स

सामाजिक परिदृश्य 45-50

45 स्माइल-75 पहल
46 विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना
46 भारत में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
47 बाल सामूहिक बलात्कार से संबंधित IPC की धारा 376DB
48 राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन-2022
48 निक्षय पोषण योजना : टीबी पोषण सहायता में कमी
49 भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पर रिपोर्ट
50 समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण: परख
50 भारत में रोहिंग्या प्रवासी
50 मणिपुर में लागू होगा एनआरसी

विरासत एवं संस्कृति 51-56

50 महान दार्शनिक एवं विचारक : श्री अरबिंदो
52 अहोम साम्राज्य के महान योद्धा : लाचित बोरफुकन
53 गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए नामित
54 तिरंगा उत्सव का आयोजन
54 भारत छोड़ो आन्दोलन के 80 वर्ष
55 मोढेरा सूर्य मंदिर
56 भारत रंग महोत्सव
56 श्रीमद् राजचंद्र मिशन
56 यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव

आर्थिक परिदृश्य 57-68

55 डिजिटल ऋण परिदृश्य : विनियमन रूपरेखा
58 नॉन फंजिबल टोकन : महत्व एवं चुनौतियां
59 धारणीय वित्त के एक मोड के रूप में ब्लू बॉन्ड
60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का डिजिटलीकरण
61 नीतिगत रेपो दर में बढ़ोतरी
61 वित्तीय समावेशन सूचकांक
62 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
63 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
63 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
64 11वीं कृषि जनगणना
64 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का विस्तार
65 आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
65 अटल पेंशन योजना
66 वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट
66 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
67 CAROTAR नियम
67 भारत-इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र
67 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
67 गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 2022-23
68 इनसाइडर ट्रेडिंग

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 69-78

66 आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक
70 चौथी भारत-बांग्लादेश रक्षा वार्ता
71 भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी
71 मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
72 इजराइल एवं फिलिस्तीन संघर्ष विराम
73 भारत एवं चीन के मध्य हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर वार्ता
74 डब्ल्यूटीओ एवं सार्वजनिक भंडारण स्वामित्व
74 भारत-यूनाइटेड किंगडम FTA वार्ता
76 भारत-ईरान नाविकों की सुचारु आवाजाही
76 स्टार्ट संधि तथा रूस
77 INSTC के माध्यम से रुसी जहाज का भारत आगमन
77 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र
78 वज्र प्रहार, 2022
78 शल्यक रणनीति

पर्यावरण एवं जैव विविधता 79-87

76 देश में अब 75 रामसर स्थल
80 कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी
81 शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक
81 तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर कैग की रिपोर्ट
82 हिंद महासागर द्विध्रुव और वर्षा
83 ग्रेट बैरियर रीफ में बढ़ोत्तरी
83 ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
84 भारत की सौर फोटोवोल्टाइक क्षमता में वृद्धि
85 स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सार्वभौमिक मानवाधिकार
85 विलुप्त प्रजातियों के पुनर्निर्माण की परियोजनाएं
86 इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम
86 भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस
86 पेट्रोल में इथेनॉल समिश्रण का लक्ष्य
87 पोर्टुलाका ओलेरासिया

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 88-96

85 इसरो का SSLV-D1/EOS-02 मिशन
89 एस्ट्रोबी रोबोटिक सिस्टम
89 क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक
90 उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम
91 भारतीय सेना को सौंपे गए विभिन्न युद्धक प्रणालियां
91 लेजर-गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल
92 पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण तथा उल्कापिंड
93 लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका
94 डीप-सी माइनिंग सिस्टम का परीक्षण
95 आईएनएस विक्रांत
95 लांग्या हेनिपावायरस
96 'हिम ड्रोन-ए-थॉन' कार्यक्रम
96 भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फार्मोकोपिया कमीशन

राज्यनामा.....97-100

लघु संचिका 101-105

खेल परिदृश्य.....106-109

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

विद्यमान चुनौतियां तथा व्यापक संभावनाओं के क्षेत्र

• संपादकीय डेस्क

एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आमतौर पर अपेक्षाकृत ऊंची आर्थिक विकास दर, बेहतर जीवन स्तर तथा उच्च प्रति व्यक्ति आय का होना आवश्यक है। साथ ही समग्र मानव विकास से संबंधित सामाजिक पूंजी मानकों- शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी खरे उतरने की जरूरत होती है। इन सभी मानकों पर वर्तमान में भारत की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं कही जा सकती, इसीलिए वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की राह में भारत के लिए कई चुनौतियां विद्यमान हैं। हालांकि भारत उन संभावनाओं को भी धारित करता है, जिनके माध्यम से वह विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी मौजूदा चुनौतियों को संबोधित करते हुए संभावनाओं पर कार्य करे।

15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "हमें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।" प्रधानमंत्री ने इसके लिए देश के नागरिकों से 5 प्रतिज्ञाएं (पंच प्रण) लेने का आह्वान किया। इन प्रतिज्ञाओं में भारत के विकास की आकांक्षा का संकल्प लेने, दासता अथवा औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशानों का उन्मूलन करने, देश की ऐतिहासिक विरासत पर गर्वान्वित महसूस करने, एकता को अपनी शक्ति बनाने तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना शामिल है।

* स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों और चुनौतियों की पहचान की।
* वर्तमान में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हालांकि अभी भी भारत को एक विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जो देश के एक विकसित राष्ट्र बनने की राह में बाधक हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार एवं नागरिकों तथा सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के साथ-साथ सभी हितधारकों द्वारा निष्पादन प्राप्तियों को लक्षित करते हुए समर्पित एवं केंद्रित प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

एक विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं?

वर्तमान समय तक विकसित राष्ट्र की कोई भी सर्वसम्मत परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंच जैसी वैश्विक संस्थाएं भिन्न-भिन्न संकेतकों के आधार पर विकसित, विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्रों का वर्गीकरण करती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक की एटलस पद्धति (Atlas Method) के आधार पर राष्ट्रों को उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Per Capita Gross National Income - GNI) के अनुसार निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत करता है।

* इस वर्गीकरण के अनुसार 1085 डॉलर तक की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था; 1085-4255 डॉलर तक की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था; 4255-13205 डॉलर तक की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था तथा 13205 डॉलर से अधिक की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देशों को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इनमें से निम्न-मध्यम आय वाले देशों को विकासशील देश तथा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को विकसित राष्ट्र कहा जाता है।
* ध्यान रहे कि विश्व बैंक की एटलस पद्धति के अंतर्गत विनिमय दर की अस्थिरता को तीन वर्ष के औसत आंकड़ों के आधार पर मूल्य-समायोजित रूपांतरण कारक का उपयोग (Price-Adjusted Conversion Factor) करके समायोजित किया जाता है।
* आगे प्रस्तुत किये गए चित्र में वर्ष 2022-23 के लिए एटलस पद्धति के आधार पर गणना किए गए आंकड़ों (उपर्युक्त वर्णित चारों आय वर्गों के कुछ देशों की स्थिति) को प्रदर्शित किया गया है। यहां से हम देख सकते हैं कि भारत 2170 प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर के साथ निम्न-मध्यम आय वाले अर्थात विकासशील देशों के समूह में शामिल है।

भारत में बाढ़ आपदा प्रबंधन

एकीकृत, बहु-आयामी एवं समावेशी रणनीति की आवश्यकता

• रमेश खनाल

भारत में बाढ़ प्रति वर्ष आने वाली घटना है, जिसके कारण मानवीय तथा पर्यावरणीय आयाम व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। हालांकि समय-बद्ध उचित बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर व्यापक उपाय किये हैं, परन्तु सरकार के विभिन्न उपायों के बावजूद वर्तमान में बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों में अनेक मुद्दे विद्यमान हैं, जिनका तेजी से निराकरण करना समय की मांग है।

हाल ही में असम तथा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ आपदा के कारण व्यापक पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ तथा इन राज्यों के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कई दिनों तक जलमग्न रहे। भारत में बाढ़ से होने वाली तबाही एक वार्षिक घटनाक्रम है। लगभग प्रत्येक वर्ष देश का कोई न कोई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़, लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक अस्थिरता के अलावा, जीवन, संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में बाढ़ आपदा से होने वाली हानि को कम करने हेतु एकीकृत एवं समावेशी बाढ़ प्रबंधन नीति की आवश्यकता है।

* 'राष्ट्रीय बाढ़ आयोग' (National Flood Commission) के अनुसार देश की लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ आपदा के प्रति प्रवण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12% है। भारत में प्रति वर्ष औसतन लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 राज्य बाढ़ प्रवण हैं।

बाढ़ प्रबंधन क्या है?

बाढ़ आपदा प्रबंधन (Flood Disaster Management) बाढ़ से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करने या रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी रणनीतियों को संदर्भित करता है। बाढ़ प्रबंधन का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले मानवीय और सामाजिक-आर्थिक नुकसान को कम करना है। बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से भौतिक प्रणालियों और सामाजिक-आर्थिक वातावरण के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है तथा बाढ़ से उत्पन्न जोखिमों के बारे में समझ विकसित करके कार्यवाही करने का प्रयास करता है।

* **बाढ़ प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:** बाढ़ नियंत्रण का विषय संविधान की संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। हालांकि संघ सूची में 'अपवाह और तटबंध' नामक विषय का उल्लेख किया गया है; इसी प्रकार राज्य सूची में 'जलापूर्ति, सिंचाई एवं नहरें', 'जल निकासी तथा तटबंध', 'जल भंडारण और जल शक्ति' नामक विषय शामिल किये गए हैं।
* इस प्रकार अप्रत्यक्ष तौर पर बाढ़ नियंत्रण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की होती है। कई राज्यों ने पहले ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए कानून बनाए हैं।
* बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यों द्वारा राज्य के अंतर्गत प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं की जांच और कार्यान्वयन किया जाता है तथा इसमें केंद्र सरकार की भूमिका तकनीकी, सलाहकार, उत्प्रेरक और प्रचारात्मक के रूप में होती है।

बाढ़ आपदा के कारण

जलवायविक कारण (Climatic Causes): भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवाओं और चक्रवाती गतिविधियों के कारण लगभग 100 दिनों तक भारी वर्षा होती है। अधिकांश भारतीय नदियों पर आने वाली बाढ़ तीव्र चक्रवाती तूफानों और अवसादीकरण (Sedimentation) का प्रत्यक्ष परिणाम होती हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बाढ़ मुख्य रूप से 'मेघ प्रस्फुटन' (Cloudburst) के कारण नदियों में जलप्रवाह बढ़ने के कारण आती है; जैसे- जुलाई 2022 में अमरनाथ के पवित्र गुफा मंदिर के आधार शिविर के पास मेघ प्रस्फुटन जनित बाढ़ के कारण कम से कम 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

* **भू-आकृतिक कारण (Geomorphic Causes):** भू-आकृतिक कारणों में नदी प्रग्रहण (River Capture), नदी तल में गाद जमने तथा नदी तल में होने वाले अन्य प्राकृतिक परिवर्तन शामिल हैं। कम होते ग्लेशियर, हिमनद झीलों (glacial lakes) के फटने और विवर्तनिक गतिविधियों (Tectonic activities) के परिणामस्वरूप होने वाली भूस्खलन घटना भी बाढ़ का कारण बन सकती हैं; जैसे- कोसी नदी के प्रवाह में नाटकीय बदलाव बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ का एक प्रमुख कारण है।
* **मानवजनित कारण (Anthropogenic Causes):** पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई, अनियोजित विकास, तटवर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण, खराब जल निकासी अवसंरचना और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग आदि के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आपदा को बढ़ावा मिलता है, जिस कारण जान माल की व्यापक क्षति होती है।

भारत में शहरी बाढ़ की बढ़ती प्रवृत्ति

कम समय में अधिक वर्षा, चक्रवाती तूफान, तटीय शहरों में जल निकासी में बाधा, उच्च ज्वार की घटनाएं, अनियोजित शहरीकरण, जल निकासी की अनुचित एवं अपर्याप्त व्यवस्था, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन आदि के कारण शहरों में बाढ़ की समस्या लगातार बढ़ रही है।

तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण

अनिवार्यताएं एवं निहितार्थ

• नवीन चंदन

संपूर्ण मानव इतिहास में तटीय क्षेत्र अपने विविध संसाधनों एवं पारिस्थितिक सेवाओं के कारण मानवीय गतिविधियों के केंद्र बिंदु रहे हैं। 7516.6 किमी. लंबी भारतीय तट रेखा 9 राज्यों एवं 4 केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तृत है। ऐसे में इसके संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों का अवलोकन करते हुए कैग की हालिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अपर्याप्तता के बावजूद कई तटीय परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे तटीय पारिस्थितिक संरक्षण के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है। भारतीय तटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों, उपजाऊ भूमि एवं उच्च विविधता से परिपूर्ण हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के तटीय क्षेत्र सुभेद्य होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय समय-समय पर तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) को अधिसूचित करता है। हालांकि कैग की हालिया रिपोर्ट इन क्षेत्रों के उचित प्रबंधन एवं विनियमन की आवश्यकता पर जोर देती है।

विशाल तटीय क्षेत्र वाले देश भारत में वर्तमान में तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का मुद्दा चर्चा में है, क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा हाल ही में संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में तटीय क्षेत्रों के उचित प्रबंधन एवं विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह रिपोर्ट वर्ष 2015-20 के दौरान भारत में तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का अवलोकन करती है। इस रिपोर्ट के आलोक में यह मुद्दा पुनः अपने भौगोलिक, आर्थिक, पारिस्थितिक एवं सतत विकास संबंधी महत्व के कारण चर्चा के केंद्र में है। इसलिए यह देखने की आवश्यकता है कि भारत तटीय क्षेत्र से संबंधित अपने संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है तथा इसके समाधान की दिशा क्या हो सकती है।

* तटीय पारिस्थितिक तंत्र अत्यधिक संपन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, जो उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य स्थित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें मुख्य भूमि से लेकर समुद्र में 200 मी. गहराई तक का क्षेत्र सम्मिलित है। तटीय पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः मैंग्रोव, कोरल रीफ, समुद्री घास, दलदली तटीय क्षेत्र तथा आर्द्रभूमि आदि शामिल होते हैं, जिनका पर्यावरणीय महत्व होने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक महत्व भी होता है।

तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का महत्व

भौगोलिक महत्व

यहां पर जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल तीनों के मिलन के कारण विशिष्ट प्रकार के भू-दृश्य का निर्माण होता है, जो स्थलीय पारितंत्र से भिन्न होता है।

* तटीय पारिस्थितिक तंत्र के अवयव प्राकृतिक बफर क्षेत्र एवं स्पंज के रूप में भूमिका का निर्वहन करते है जो प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, समुद्री बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
* ऐसा माना जाता है कि लगातार बढ़ते वैश्विक ऊष्मन तथा चरम प्राकृतिक घटनाओं के कारण समुद्री जल स्तर में 0.5 मी. से 1 मी. तक बढ़ोत्तरी हो सकती है, जिसमें ये विशिष्ट भौगोलिक तंत्र तटीय क्षेत्र के प्रबंधन एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

आर्थिक महत्व

भारत में तटीय पारिस्थितिक तंत्र का विशिष्ट आर्थिक महत्व है, क्योंकि देश के तीन महानगर कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई की अवस्थिति तटवर्ती है तथा देश की लगभग एक चौथाई जनसंख्या समुद्र तटों के 50 किमी. के दायरे में निवास करती है।

* भारत मत्स्य एवं समुद्री उत्पादों जैसे दवा, भोजन, सजावट, ईंधन आदि का छठा बड़ा उत्पादक है, जिसकी क्षमता 3.92 मीट्रिक टन है तथा जो लगभग 1.92 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
* भारत सरकार ब्लू इकोनॉमी के महत्व को देखते हुए एग्रो फिशरीज, इकोटूरिज्म जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को तटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ावा दे रही है, जिससे 'ब्लू ग्रोथ' द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके।
* भारत के तटीय क्षेत्र सभी समुद्री उत्पादों का 30% हिस्सा धारित करते हैं, जहां से क्षेत्रीय स्तर पर पशुचारा, उर्वरक एवं सौंदर्य प्रसाधनों का उत्पादन होता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर आय एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं।

पारिस्थितिक महत्व

भारत के तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण सघन जैव-विविधता से संपन्न है, जहां मोलस्का (Mollusca), क्रस्टेशिया (Crustacea), ड्युगोंग (Dugongs) जैसी प्रजातियों की प्रचुरता है।

* मैंग्रोव एवं समुद्री घास कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि तलछट सिंक (Sediment Sink) द्वारा कार्बन का अवशोषण किया जाता है, जिसे ब्लू कार्बन कहते है। यह अवशोषण जीव भार (biomass) एवं अवसाद (sediments) के रूप में संचित रहते हैं।
* भारत का तटीय पारिस्थितिक तंत्र उष्णकटिबंधीय है जहां विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, जैसे समुद्री घास एवं मैंग्रोव की वनस्पति, जिसकी विशिष्ट जड़ प्रणाली नमक को छानती है तथा प्राणियों को आवास प्रदान करती है तथा 'की स्टोन प्रजाति' की भूमिका निभाती है।

हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी

भारत के हित, जुड़ाव एवं निहितार्थ

• सत्य प्रकाश द्विवेदी

भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समान हितों वाले देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है तथा चीन के उभार से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान का प्रयास भी कर रहा है। चीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए, दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है और 'नौ-वहन की स्वंत्रतता' को भी प्रतिबंधित करता है। विभिन्न देशों के साथ भारत की साझेदारी सम्पूर्ण हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

27 जुलाई से 17 अगस्त, 2022 के दौरान ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित ब्लैक पिच युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। भारत ने इस युद्धाभ्यास में प्रथम बार भागीदारी की, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड आदि देश भी शामिल हुए।

- भारत इस व्यापक क्षेत्र में अपने लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना करता है। भारत सहयोग और नई साझेदारी के माध्यम से ही इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का लगातार विस्तार कर रहा है। हालांकि, चीन के उभार के साथ हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियां पैदा हुई हैं साथ ही चीन, हिन्द महासागरीय क्षेत्र में भी तेजी से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।
- भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नौ-परिवहन की स्वतंत्रता, कानून-आधारित व्यवस्था का पालन करने तथा व्यापार हेतु सुव्यवस्थित माहौल का निर्माण करने का समर्थक है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में भारत के प्राकृतिक साझेदार के रूप में उभरे हैं तथा भारत की हिन्द-प्रशांत साझेदारी के प्रमुख स्तंभ बन गए हैं।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के हित

- **आर्थिक अवसर:** वर्तमान में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला तथा आर्थिक रूप से गतिमान क्षेत्र बन गया है। भारत अपने कुल व्यापार का 90% इस क्षेत्र के माध्यम से करता है। भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उन सभी बंदरगाहों और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रक्षा जाए जो व्यापार, माल परिवहन और नौवहन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - हिन्द-प्रशांत का तटीय क्षेत्र लगभग 2 बिलियन लोगों को आश्रय एवं आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करता है। विशाल बाजार और उपभोग का समान स्वरूप व्यापार-वाणिज्य में वृद्धि का अवसर प्रदान करता है।
  - यहाँ बिम्सटेक, गंगा-मेकांग सहयोग, हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) आदि विभिन्न क्षेत्रीय समूह हैं, जो सदस्य देशों के मध्य बिना रोक-टोक के व्यापार के अवसर उपलब्ध कराते हैं।
- **सामरिक साझेदारी:** भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत के हित हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से जुड़े हैं, जो हिन्द-प्रशांत अवधारणा के केंद्र में हैं।
  - हिन्द-प्रशांत क्षेत्र, क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने तथा भारत के राष्ट्रीय हितों को दीर्घकालिक रूप से पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत, हिन्द महासागर में अपने निकटवर्ती देशों के साथ संबंध को प्राथमिकता दे रहा है।
- **बहुमूल्य खनिजों का निष्कर्षण:** इस क्षेत्र में बहुमूल्य धात्विक खनिजों, जैसे कॉपर, निकल कोबाल्ट, टाइटेनियम, जर्कोनियम आदि, पॉलिमेटालिक नॉडूल्स के रूप में पाए जाते हैं। इन बहुमूल्य धातुओं के बहुआयामी उपयोग हैं तथा इनमें से कई धातुओं के रणनीतिक उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए, कोबाल्ट के उपयोग से ऊर्जा की संग्राहक बैट्रियों तथा टाइटेनियम के उपयोग से युद्धक सामग्री का निर्माण किया जा सकता है।
- **नेट सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) के रूप में भारत:** इस क्षेत्र में विभिन्न द्वीपीय देश हैं जहां बाह्य हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है तथा ये देश सुरक्षा गारंटी की तलाश में रहते हैं। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री लुटेरों के हमले, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, अनियंत्रित प्रवसन आदि अस्थिरता उत्पन्न करते हैं।
- इस क्षेत्र में स्थित इन द्वीपीय देशों द्वारा भारत को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। भारत द्वारा अपनी भूमिका निभाने के अभाव में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है।

हिन्द-प्रशांत में भारत के जुड़ाव

द्विपक्षीय रणनीतिक साझीदारी

✓ **भारत-जापान**

- भारत और जापान दोनों देशों के हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समान रणनीतिक हित हैं। जापान के द्वारा किए जाने वाले व्यापार का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा दक्षिणी चीन सागर से हो कर जाता है तथा भारत-जापान दोनों देश हिन्द प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के मध्य सेनकाकू द्वीप सहित कई मुद्दों को लेकर विवाद हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी जापान के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
- सितंबर 2014 में भारत और जापान ने अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी' (Special Strategic and Global Partnership) के रूप में उन्नत किया था। दोनों देशों के मध्य पहली 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक नवम्बर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती

• संपादकीय डेस्क

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, निम्न एवं मध्यम आय वाले देश कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तथा इसने वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य विकारों में तेजी से वृद्धि की। इस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य आबादी की तुलना में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों की मृत्यु औसतन 10 से 20 वर्ष पहले हो जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपात स्थिति, युद्ध तथा जलवायु संकट, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य' नामक रिपोर्ट जारी की गई, जो मानसिक स्वास्थ्य पर 21वीं सदी की सबसे बड़ी समीक्षा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का उद्देश्य सभी के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा इसकी प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है।

- यह रिपोर्ट सभी हितधारकों को उपलब्ध नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर नीति निर्माण करने की सिफारिश करती है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने तथा मिलकर काम करने का आह्वान भी किया गया है।
- महामारी से पूर्व वर्ष 2019 में, वैश्विक स्तर पर अनुमानत: 970 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे जो पूरे यूरोप की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इन 970 मिलियन लोगों में से 82% लोग निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMICs) से संबंधित थे।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कुल 970 मिलियन लोगों में से लगभग एक तिहाई 'चिंता विकारों' से पीड़ित थे। इन विकारों के अतिरिक्त अवसादग्रस्तता, विकास संबंधी विकार, ध्यान लगाने में कमी/अति-सक्रियता, द्विध्रुवी विकार या अवसादग्रस्त मनोदशा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सिजोफ्रेनिया इत्यादि मानसिक विकारों से पीड़ित थे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की 66वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक व्यापक कार्य योजना (2013-2021) शुरू की गई थी। इस कार्य योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे:
  - समुदाय आधारित वातावरण में एकीकृत, उत्तरदायी और व्यापक सामाजिक देखभाल तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
  - मानसिक स्वास्थ्य के लिए साक्ष्य, अनुसंधान और सूचना प्रणाली को मजबूत बनाना। मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करना।
  - मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रशासन को मजबूत बनाना।

मानसिक स्वास्थ्य का महत्व

भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देता है और रिश्तों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें प्रौद्योगिकी संचालित जीवन में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने की भी अनुमति देता है।

- अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं।
- हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य का वैश्विक बोझ विकसित और विकासशील देशों की उपचार क्षमता से काफी परे माना जाता है। इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बेहद अनिश्चित हैं। इसलिए मानसिक बीमारी की बढ़ती सामाजिक और आर्थिक लागतों ने दुनिया भर के प्रतिष्ठानों को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ मानसिक बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए मजबूर किया है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2022 के प्रमुख निष्कर्ष

✓ **वैश्विक परिदृश्य**

- लगभग एक अरब लोग, जिनमें से 14% किशोर थे, 2019 में किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जी रहे थे।
- विश्व स्तर पर, मनोविकृति के 71 प्रतिशत रोगियों को उपचार नहीं मिला है। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (सीएमएचएपी) 2013-2030 की दिशा में प्रगति धीमी रही है। सभी 194 सदस्यों द्वारा अपनाया गया 'सीएमएचएपी' का उद्देश्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ मानसिक विकारों को रोकना भी था।
- COVID-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है, इसने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और नाजुकता की कहीं अधिक समझ भी पैदा कर दी है।

✓ **भारतीय परिदृश्य**

- डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि लगभग 7.5% प्रतिशत भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं।
- संख्यात्मक रूप से, लगभग 56 मिलियन भारतीय अवसाद से पीड़ित हैं और अन्य 38 मिलियन भारतीय चिंता विकारों से पीड़ित हैं।
- डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भारत में मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की भारी कमी है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि लगभग 7.5% (90 मिलियन) से अधिक भारतीय मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित हैं। इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अध्ययन के अनुसार मानसिक विकारों के कारण भारत में इस बीमारी का बोझ 1990 में 2.5% से बढ़कर 2017 में 4.7% हो गया है।

विषय विमर्श

सुभेद्य वर्गों की औपचारिक वित्त तक पहुंच

आर्थिक सशक्तीकरण हेतु वित्तीय समावेशन आवश्यक

❑ डॉ. अमरजीत भार्गव

वित्तीय समावेशन से जहां एक ओर समाज के सुभेद्य वर्ग बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन जैसी सेवाओं के माध्यम से अपनी भविष्य की आवश्यकताओं हेतु बचत करने को प्रेरित होते हैं; तो वहीं दूसरी तरफ, इससे देश में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। वित्तीय समावेशन के व्यापक परिणामों में रोजगार सृजन, तीव्र आर्थिक विकास तथा वित्तीय सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण वितरण शामिल है। समाज के वंचित एवं सुभेद्य वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

2 अगस्त, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial inclusion index or FI-Index) पिछले वर्ष (2021) के 53.9 से बढ़कर 56.4 हो गया है। वर्ष 2021 से वार्षिक आधार पर जारी किए जाने वाले इस सूचकांक के अंतर्गत सरकार एवं क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल किया जाता है। 'लोगों की औपचारिक वित्त तक पहुंच', वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक है।

इससे लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति का विकास होता है तथा इसके द्वारा देश की एक बड़ी आबादी को विकास प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी ग्रामीण आबादी एवं अनेक सुभेद्य वर्गों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं से वंचित है। वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के अभाव में देश के निम्न आय वर्ग के मध्य वित्तीय अस्थिरता तथा गरीबी जैसी चुनौतियों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में, देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित करने तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह आवश्यक है कि सुभेद्य वर्गों की औपचारिक वित्त तक पहुंच तथा वित्तीय समावेशन की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाए।

सुभेद्य वर्गों की औपचारिक वित्त तक पहुंच

सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा औपचारिक वित्त तक पहुंच के संदर्भ में समय-समय पर आंकड़े जारी किए जाते हैं।

* वर्ष 2016 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा जारी 59वें दौर के सर्वेक्षण परिणाम बताते हैं कि देश के लगभग 51.4% किसान परिवारों तक औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की वित्तीय सेवाओं की पहुंच नहीं है। सर्वेक्षण में पाया गया कि, देश के कुल किसान परिवारों में से केवल 27% परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम हैं।
  - भौगोलिक दृष्टिकोण से देश के मध्यवर्ती पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लगभग 61% किसान परिवार वित्तीय अपवर्जन (Financial Exclusion) का सामना कर रहे हैं।
* विश्व बैंक द्वारा 2017 में जारी किए गए वैश्विक फिन्डेक्स डेटाबेस (Global Findex database) के अनुसार 15 वर्ष से ऊपर की आयु की लगभग 77% महिलाएं किसी न किसी वित्तीय संस्थान में खाताधारक (Account Owners) हैं। खाताधारक महिलाओं की संख्या 2014 में 43% तथा वर्ष 2011 में 26% थी। किंतु, चिंता की बात यह है कि, वर्ष 2017 में महिलाओं द्वारा संचालित लगभग 48% खाते निष्क्रिय पाए गए।
* सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से इन समुदायों को ऋण तथा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इन योजनाओं में- अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' योजना, पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु 'कौशल विकास एवं प्रशिक्षण' योजना, सामाजिक-आकलन तथा सामाजिक प्रबंधन हेतु 'नई मंजिल' योजना शामिल हैं।
* इनके साथ, इन समुदायों के लोगों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (National Minorities Development and Finance Corporation-NMDFC) के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं।
* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुल ऋण का लगभग 40% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जारी किए जाने का प्रावधान है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सूक्ष्म वित्तीय बैंकों के संदर्भ में 75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने चाहिए। ध्यान रहे कि, रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) प्राप्त करने वाले वर्गों की विस्तृत सूची जारी की है, जिसमें किसान तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया गया है।

in फोकस

- पेसा अधिनियम : जनजातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन का आधार
- फ्रीबीज बनाम कल्याणकारी उपाय : समालोचनात्मक विश्लेषण
- चीन–ताइवान संकट : वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा वैश्विक निहितार्थ
- भारत में पेटेंट व्यवस्था : प्रावधान, चुनौतियां एवं समाधान
- भारत का अद्यतन एनडीसी : महत्व एवं चुनौतियां
- एंडोसल्फान : कुप्रभाव तथा उत्पन्न चुनौतियां

पेसा अधिनियम
जनजातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन का आधार

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेसा अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन हेतु नियमों को अधिसूचित किया।

- नए नियमों के अनुसार, ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदायों से होंगे और इसमें से 25% सदस्य महिलाएं होंगी।
- अवगत करा दें कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन इससे संबंधित नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था।
- पेसा अधिनियम के लागू होने से अब छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन से जुड़े अपने फैसले खुद ले सकेंगे।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम या पेसा कानून (PESA Act) एक केंद्रीय कानून है, जिसका कार्यान्वयन राज्य-विशेष पर निर्भर करता है।
- उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले कई राज्यों ने अभी तक पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया है।

पेसा कानून क्या है?

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 एक केंद्रीय कानून है जो संविधान के भाग IX में प्रदत्त पंचायतों के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। पांचवीं अनुसूची वाले इन क्षेत्रों में आदिवासी आबादी की प्रधानता है।

- यह 'भारत के अनुसूचित क्षेत्रों' (Scheduled Areas of India) में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं (Gram Sabhas) के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है।
- भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु जनजातीय स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1995 में भूरिया समिति (Bhuria Committee) की सिफारिशों के बाद पेसा अधिनियम, 1996 अस्तित्व में आया।
- पेसा अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद, केंद्र सरकार ने मॉडल पेसा नियम प्रसारित किए थे, परन्तु अब तक केवल 6 राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित किया है।

प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान

यह अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं के अनुमोदन और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है।

- इसमें वे प्रक्रियाएं एवं कर्मी शामिल हैं, जो नीतियों को लागू करते हैं तथा गैर-काष्ठ वन संसाधनों, लघु जल निकायों एवं लघु खनिजों पर नियंत्रण रखते हैं।
- पेसा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान कीं तथा पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधायिका को सलाहकार की भूमिका प्रदान की।
- पेसा कानून के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को सौंपी गई शक्ति को उच्च स्तरीय निकाय द्वारा कम नहीं किया जा सकता। पेसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है।
- पेसा कानून, निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन का पक्षधर है।

इस कानून का औचित्य

अनुसूचित क्षेत्र, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन (इसी के माध्यम से ही संविधान में भाग IX जोड़ा गया) या पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे।

- इसीलिए संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए पेसा को अधिनियमित किया गया था।
- इस प्रकार यह अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संवैधानिक शून्य को भरने का कार्य करता है।

संविधान एवं राजव्यवस्था ....

- नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2022
- विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954
- मौलिक कर्तव्य : सामाजिक परिवर्तन के लिए नागरिकों के मार्गदर्शक

शासन प्रणाली

- भारत के 14वें उपराष्ट्रपति : जगदीप धनखड़
- सेंट्रल डिप्युटेशन के लिए अधिकारियों की कमी
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

संस्थान एवं निकाय

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक

केंद्र-राज्य संबंध

- भारत में सहकारी संघवाद तथा नीति आयोग

योजना एवं कार्यक्रम

- नमस्ते योजना
- निदान पोर्टल का शुभारंभ
- चुनावी बांड योजना

राष्ट्रीय सुरक्षा

- राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)

विविध

- 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन

संक्षिप्तिकी

- पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

न्यूज ब्रुलेट्स

संविधान एवं राजव्यवस्था ....

नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2022

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2022 (National Anti-Doping Bill, 2022) को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। इसे 3 अगस्त, 2022 को राज्य सभा द्वारा तथा 27 जुलाई, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया।

- इस विधेयक में संसदीय स्थायी समिति एवं कुछ अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों / सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित कुछ आधिकारिक संशोधन किये गए थे।
- यह विधेयक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर, खेल स्पर्धाओं में भाग लेने और तैयारी करते समय सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह खेल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती से स्थापित करता है।

विधेयक के उद्देश्य

- डोपिंग-रोधी कार्य के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना तथा प्रमुख खेल आयोजनों की मेजबानी को सक्षम बनाना;
- सभी खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना;
- एथलीटों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना;
- खेलों में डोपिंग के खिलाफ मुकाबले के लिए एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना;
- खेलों को स्वच्छ बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना;
- डोपिंग रोधी निर्णयन के लिए 'स्वतंत्र तंत्र' (Independent mechanism) की स्थापना करना;
- राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (NADA) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) को कानूनी मान्यता प्रदान करना;
- डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिक संख्या में स्थापना करना;
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करना;
- डोपिंग-रोधी गतिविधियों से संबंधित शैक्षणिक अनुसंधान, विज्ञान और विनिर्माण के लिए अवसर पैदा करना; एवं भारत में खेलों के लिए अतिरिक्त सहायक तत्वों के निर्माण के लिए मानक स्थापित करना।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना:** यह विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए एक वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही यह खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 'राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड' (National Board for Anti-Doping) के निर्माण का भी प्रावधान करता है।
- **डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जांच:** यह विधेयक डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी करने के साथ-साथ डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जांच करने का प्रावधान करता है। यह एथलीटों, एथलीट सहायक कर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है।

सामाजिक परिदृश्य

अति संवेदनशील वर्ग

- स्माइल-75 पहल
- विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना

सामाजिक न्याय

- भारत में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- बाल सामूहिक बलात्कार से संबंधित IPC की धारा 376DB

बैठक एवं सम्मेलन

- राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन-2022

योजना एवं कार्यक्रम

- निक्षय पोषण योजना : टीबी पोषण सहायता में कमी

विविध

- भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पर रिपोर्ट

संक्षिप्तिकी

- समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण: परख

न्यूज बुलेट्स

अति संवेदनशील वर्ग

स्माइल-75 पहल

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 अगस्त, 2022 को चिन्हित 75 नगरपालिकाओं में भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 'स्माइल-75' पहल ('SMILE-75' initiative) का शुभारंभ किया।

- स्माइल-75 पहल की शुरुआत, स्माइल योजना [SMILE (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) Scheme] के तहत की गई, जिसका शुभारंभ फरवरी 2022 में किया गया था।

स्माइल-75 पहल के संदर्भ में

इस पहल को आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत चिन्हित नगर निगम, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भीख मांगने वाले लोगों के लिए अनेक व्यापक कल्याणकारी उपाय आरंभ करेंगे।

- इन उपायों में पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, जागरूकता, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, कौशल विकास और अन्य सरकारी कल्याणकारी पहलों के साथ आर्थिक मुद्दों को शामिल किया गया है।
- इस पहल को नगरों एवं नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने तथा इस संवेदनशील वर्ग के पुनर्वास हेतु उपयुक्त रणनीति का निर्माण करने के लिए आरंभ किया गया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस स्थायी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु स्थानीय शहरी निकायों (Urban Local Bodies), नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organizations) तथा गैर-सरकारी संगठनों (Non-governmental organizations) की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है।
- मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये स्माइल परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।

भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति

भिक्षावृत्ति गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है तथा भारत जैसे विकासशील देश के शहरी क्षेत्रों में गंभीर चिंताओं को उत्पन्न करती है। देश में भिक्षावृत्ति के संदर्भ में कोई भी एकीकृत कानून नहीं है।

- सर्वप्रथम भिक्षावृत्ति को 'बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग ऐक्ट-1959' (Bombay Prevention of Begging Act-1959) के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। इसे आधार बनाते हुए वर्तमान समय में लगभग 20 राज्यों तथा 'दिल्ली' एवं 'दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली' नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं।
- बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग ऐक्ट के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गाना गाकर, नृत्य करके, भविष्य बताकर, कोई सामान देकर या इसके बिना भीख मांगता है अथवा कोई चोट, घाव आदि दिखाकर, बीमारी बताकर भीख मांगता है अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीविका का कोई दृश्य साधन नहीं है (Having no visible means of subsistence) तथा सार्वजनिक स्थान पर इधर-उधर भीख मांगने की मंशा से घूमता है, उसे भिक्षावृत्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।
  - इस अधिनियम में भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया गया है। साथ ही, इसमें पुलिस प्रशासन को शक्ति प्रदान की गई है कि वह भिक्षावृत्ति में शामिल ऐसे लोगों को पकड़कर पहली बार में तीन साल तक के लिये और दूसरी बार में दस साल तक के लिये किसी पंजीकृत संस्था में भेज सकते हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भिखारियों की कुल संख्या 413670 है। इस दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल राज्य शीर्ष पर है, जिसके बाद क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के नाम हैं।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

- महान दार्शनिक एवं विचारक : श्री अरबिंदो
- अहोम साम्राज्य के महान योद्धा : लाचित बोरफुकन

विरासत

- गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए नामित

पर्व एवं उत्सव

- तिरंगा उत्सव का आयोजन

स्वतंत्रता आंदोलन

- भारत छोड़ो आन्दोलन के 80 वर्ष

संक्षिप्तिकी

- मोढेरा सूर्य मंदिर
- भारत रंग महोत्सव
- श्रीमद् राजचंद्र मिशन
- यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव

न्यूज बुलेट्स

व्यक्तित्व

महान दार्शनिक एवं विचारक : श्री अरबिंदो

स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के दिन 15 अगस्त, 2022 को देश भर में प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं आध्यात्मिक गुरु श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती (150th Birth Anniversary of Sri Aurobindo) भी मनाई गई।

- उनका जीवन और शिक्षाएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं तथा उनके विशाल दार्शनिक और राजनीतिक लेखन की विरासत से अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी है।
- श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय विदेश मंत्रालय के तहत विदेश स्थित भारतीय मिशनों के द्वारा श्री अरबिंदो घोष की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित लघु फिल्म ''श्री अरबिंदो: द बिगनिंग ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी'' की स्क्रीनिंग की गई।

जीवन परिचय

श्री अरबिंदो (Sri Aurobindo) को लोकप्रिय रूप में अरबिंदो घोष (Aurobindo Ghose) के नाम से भी जाना जाता है।

- श्री अरबिंदो (1872-1950) एक भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, कवि, क्रांतिकारी और भारतीय राष्ट्रवादी थे।
- उनका जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में श्री कृष्णधन घोष के यहाँ हुआ था।
- वे 1910 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन का हिस्सा रहे और फिर एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए, जिसने मानव प्रगति और आध्यात्मिक विकास पर अपने दृष्टिकोण पेश किए।
- पांडिचेरी में 5 दिसंबर, 1950 को उनका निधन हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अरबिंदो घोष की भूमिका

उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न सत्रों में भाग लिया तथा साथ ही 1902 में कलकत्ता की अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की।

- उन्होंने और उनके भाई क्रांतिकारी बारीन्द्र कुमार घोष ने जुगांतर पत्रिका (Jugantar Patrika) नामक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र में लेखों का योगदान दिया, जिसने कई युवाओं को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। जुगांतर पत्रिका की स्थापना बारीन्द्र कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा 1906 में कलकत्ता में की गई थी।
- 1905 में, अरबिंदो ने बंदे मातरम (Bande Mataram) नामक एक अंग्रेजी अखबार का संपादन शुरू किया।
- मई 1908 में, अरबिंदो को अलीपुर षडयंत्र केस या अलीपुर बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह की हत्या के बाद मामला बंद होने के कारण अरबिंदो को जेल में एक साल के एकांत कारावास के बाद रिहा कर दिया गया था।

अध्यात्म में अरबिंदो घोष का योगदान

अलीपुर जेल में उनकी कैद के दौरान ही अरबिंदो का झुकाव आध्यात्मिकता और आत्म-साक्षात्कार की तरफ होने लगा। वह सनातन धर्म की सच्चाई के प्रति आश्वस्त हुए।

- उन्होंने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया और राजनीतिक जीवन से दूर हट गए, अब उनके जीवन का उद्देश्य देश के लिए राजनीतिक मुक्ति से परे था।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

वित्त क्षेत्र
- डिजिटल ऋण परिदृश्य : विनियमन रूपरेखा
- नॉन फंजिबल टोकन : महत्व एवं चुनौतियां
- धारणीय वित्त के एक मोड के रूप में ब्लू बॉन्ड

मुद्रा एवं बैंकिंग
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का डिजिटलीकरण
- नीतिगत रेपो दर में बढ़ोतरी

वित्तीय समावेशन
- वित्तीय समावेशन सूचकांक

खाद्य सुरक्षा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

व्यापार एवं निवेश
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
- 11वीं कृषि जनगणना

योजना–परियोजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का विस्तार
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- अटल पेंशन योजना
- वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट पहल

संक्षिप्तिकी
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
- **CAROTAR** नियम
- इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
- गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 2022-23
- इनसाइडर ट्रेडिंग

न्यूज बुलेट

वित्त क्षेत्र

डिजिटल ऋण परिदृश्य : विनियमन रूपरेखा

7 अगस्त, 2022 भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल ऋण परिदृश्य (Digital Lending Scenario) को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

- रिजर्व बैंक ने 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देने' तथा 'डिजिटल लेंडिंग' पर एक कार्यकारी समूह' (Working Group) से प्राप्त इनपुट के आधार पर यह निर्णय लिया है।
- डिजिटल उधार पर कार्यकारी समूह (Working Group on digital lending) की स्थापना 13 जनवरी, 2021 को आरबीआई द्वारा की गई थी।

डिजिटल ऋण परिदृश्य को विनियमित करने हेतु नवीन दिशानिर्देश

आरबीआई के अनुसार उधार उन संस्थाओं द्वारा दिया जाना चाहिए जो या तो आरबीआई द्वारा विनियमित हैं या प्रासंगिक कानून के तहत काम करने की अनुमति रखती हैं।

- उधारदाताओं को एक मानकीकृत प्रारूप में सभी शुल्क और वार्षिक प्रतिशत दर (Annual percentage rate) के बारे में सूचित करना चाहिए।
- ऋण मध्यस्थता प्रक्रिया में उधार सेवा प्रदाता को देय शुल्क का भुगतान सीधे बैंक द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा।
- उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में कोई भी स्वचालित वृद्धि नहीं की जा सकती है।
- डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (Digital Lending Apps) द्वारा एकत्र किया गया डेटा उधारकर्ता की पूर्व सहमति से 'जरूरत-आधारित' होना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसका ऑडिट किया जा सकता है।
- बैंकों और उनसे जुड़े उधार सेवा प्रदाता को फिनटेक या डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक नोडल शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।
- यदि शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो उधारकर्ता आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) में शिकायत कर सकते हैं।
- विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के माध्यम से दिए गए किसी भी उधार के संबंध में क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies) को सूचित किया जाना चाहिए।
- 'अभी खरीदो बाद में चुकाओ' (Buy Now Pay Later) मोड के माध्यम से उधार देने की भी सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों को दी जानी चाहिए।

डिजिटल ऋण

डिजिटल लेंडिंग, ऋण की पेशकश करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो डिजिटल चौनलों के माध्यम से वितरित और प्रबंधित की जाती हैद्य इसमें ऋणदाता अपनी ऋण पहलों से ग्राहकों को अवगत कराने और ग्राहक जुड़ाव का निर्माण करने के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग करते हैं।

- ऋण संबंधी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

बैठक एवं सम्मेलन
- आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक

भारत के पड़ोसी देश
- चौथी भारत-बांग्लादेश रक्षा वार्ता
- भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी
- मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संघर्ष एवं विवाद
- इजराइल एवं फिलिस्तीन संघर्ष विराम
- भारत एवं चीन के मध्य हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर वार्ता

संगठन एवं फोरम
- डब्ल्यूटीओ एवं सार्वजनिक भंडारण स्वामित्व

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-यूनाइटेड किंगडम FTA वार्ता
- भारत-ईरान नाविकों की सुचारु आवाजाही

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- स्टार्ट संधि तथा रूस

वैश्विक पहल
- INSTC के माध्यम से रूसी जहाज का भारत आगमन

संक्षिप्तिकी
- प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र

न्यूज बुलेट्स

बैठक एवं सम्मेलन

आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक

4 अगस्त, 2022 को कंबोडिया के नोम पेन्ह में 'आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक' [ASEAN-India Foreign Ministers' Meeting (AIFMM)] का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कंबोडिया का दौरा किया।

मुख्य बिंदु

आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन ने की।

- इस वर्ष आसियान-भारत अपने संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस बैठक के दौरान आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए।
- इस बैठक में आसियान-भारत के मध्य स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समावेशिता और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया।
- भारतीय विदेश मंत्री ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक में आसियान एकता और केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।
- इसी दौरान नोम पेन्ह में 12वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक तथा 29वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रिस्तरीय बैठक भी संपन्न हुई।

आसियान – भारत संबंध

भारत के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का प्रमुख आधार सामंजस्यपूर्ण, प्रतिक्रियाशील और समृद्ध आसियान है।

- आसियान, भारत के हिंद महासागर के लिये रणनीतिक विजन- 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) के केंद्र में है।
- भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़ते हुए ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है, जिसका एक आयाम आसियान समूह के देशों के साथ संबंध सुधारना है।
- आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है।
- भारत ने आसियान के कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।
- भारत-आसियान द्वारा 2021-2025 के लिए एक नई आसियान-भारत कार्य-योजना को अपनाने की पहल की है।

आसियान – भारत सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार:** भारत के कुल व्यापार का 10% से अधिक आसियान देशों के साथ होता है तथा वर्तमान में आसियान समूह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** भारत, आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum) तथा 'मेकांग गंगा सहयोग' (Mekong Ganga Cooperation) का सदस्य है। भारत, अपनी 'एक्ट

पर्यावरण एवं जैव विविधता

पर्यावरण संरक्षण
- देश में अब 75 रामसर स्थल
- कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी

सूचकांक एवं रिपोर्ट
- शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक
- तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर कैग की रिपोर्ट

जलवायु परिवर्तन
- हिंद महासागर द्विध्रुव और वर्षा
- ग्रेट बैरियर रीफ में बढ़ोत्तरी

सतत विकास एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
- भारत की सौर फोटोवोल्टाइक क्षमता में वृद्धि

सम्मेलन एवं बैठक
- स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सार्वभौमिक मानवाधिकार
- विलुप्त प्रजातियों के पुनर्निर्माण की परियोजनाएं

संक्षिप्तिकी
- इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम
- भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस
- पेट्रोल में इथेनॉल समिश्रण का लक्ष्य
- पोर्टुलाका ओलेरासिया

न्यूज बुलेट्स

पर्यावरण संरक्षण

देश में अब 75 रामसर स्थल

हाल ही में भारत के 11 नए आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल (Ramsar sites) के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। भारत में इन आर्द्रभूमियों द्वारा 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया हैं।

मुख्य बिंदु

11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू एवं कश्मीर में 2 तथा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र प्रत्येक में 1-1 स्थल शामिल हैं।

- इससे पूर्व 3 अगस्त, 2022 को 10 स्थल तथा 26 जुलाई, 2022 को 5 अन्य आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
- किसी जगह के **'रामसर स्थल'** के रूप में नामित होने का मतलब है कि अब यह स्थल (साइट), पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने में अपने महत्व के लिए **'वैश्विक मानचित्र'** पर होगा।
- इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्रभूमियों का संरक्षण और प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

11 नए रामसर स्थल एवं इनकी विशेषताएं

- **तंपारा झील:** तंपारा झील गंजम जिले में स्थित ओडिशा राज्य की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह आर्द्रभूमि दुर्लभ प्रजातियों जैसे कि साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन पोचार्ड (अथ्या फेरिना), और रिवर टर्न (स्टर्ना औरंतिया) के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।
- **हीराकुंड जलाशय:** ओडिशा में स्थित हीराकुंड जलाशय में 130 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जिनमें से 20 प्रजातियां उच्च संरक्षण महत्व की हैं। यह आर्द्रभूमि भारत के पूर्वी तट के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक केंद्र महानदी डेल्टा में बाढ़ को नियंत्रित करके महत्वपूर्ण जल विज्ञान सेवाएं भी प्रदान करती है।

- **अंशुपा झील:** अंशुपा झील कटक जिले के बांकी उप-मंडल में स्थित ओडिशा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह आर्द्रभूमि रिनचोप्स एल्बिकोलिस, स्टर्ना एक्यूटिकौडा और स्टर्ना ऑरेंटिया, क्लारियस मगर, साइप्रिनस कार्पियो और वालगो एटू नामक प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है।
- **यशवंत सागर:** यशवंत सागर मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है, यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यशवंत सागर को मध्य भारत में दुर्लभ सारस क्रेन का गढ़ माना जाता है।
- **चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य:** चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य या ''चित्रांगुडी कनमोली'' तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास है। इस स्थल से स्पॉट-बिल्ड पेलिकन, लिटिल एग्रेट, ग्रे हेरॉन, लार्ज एग्रेट, ओपन बिल स्टॉर्क, पर्पल और पोंड हेरॉन जैसे जलपक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है।

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान
- इसरो का SSLV-D1 / EOS-02 मिशन
- एस्ट्रोबी रोबोटिक सिस्टम

नवीन प्रौद्योगिकी
- क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक

रक्षा प्रौद्योगिकी
- उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम
- भारतीय सेना को सौंपे गए विभिन्न युद्धक प्रणालियां
- लेजर-गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल

भू-विज्ञान
- पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण तथा उल्कापिंड

स्वास्थ्य विज्ञान
- लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका

समुद्र विज्ञान
- डीप-सी माइनिंग सिस्टम का परीक्षण

विविध
- सामूहिक विनाश के हथियारों के निषेध संबंधी विधेयक

संक्षिप्तिकी
- आईएनएस विक्रांत
- लांग्या हेनिपावायरस
- 'हिम ड्रोन-ए-थॉन' कार्यक्रम
- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फार्मोकोपिया कमीशन

न्यूज बुलेट्स

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

इसरो का SSLV-D1 / EOS-02 मिशन

7 अगस्त, 2022 को इसरो द्वारा SSLV-D1 /EOS-02 मिशन के माध्यम से EOS-2 (Earth Observation Satellite-2) और आजादीसैट (Azaadisat) नामक दो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के सभी चरणों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया परन्तु टर्मिनल चरण (terminal phase) में डेटा हानि (data loss) के कारण उपग्रह अनुपयोगी हो गए।

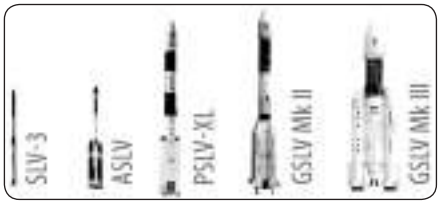

मुख्य बिंदु

इसरो के अनुसार, सेंसर की खराबी के कारण ये उपग्रह 356-किमी वृत्ताकार कक्षा (circular orbit) के बजाय 356×76 किमी अण्डाकार कक्षा (elliptical orbit) में स्थापित कर दिए गए।

- इसरो द्वारा इस असफलता का विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है तथा अगले उपग्रह प्रमोचन में इस समिति की सिफारिशों को लागू की जाएगी।
- इसरो के अनुसार, जल्द ही SSLV-D2 मिशन के माध्यम से इन उपग्रहों को पृथ्वी के निम्न कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
- एसएसएलवी-डी1/ईओएस-02 मिशन इसरो के न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड का तीसरा प्रक्षेपण मिशन है जिसका उद्देश्य छोटे लॉन्च वाहनों के वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है।

ईओएस-2 तथा आजादीसैट

ईओएस-2 का वजन 145 किग्रा है तथा यह एक प्रायोगिक इमेजिंग उपग्रह (experimental imaging satellite) है। EOS-02 सूक्ष्म उपग्रह श्रृंखला (microsatellite series) का उपग्रह है।

पीटी फैक्ट्स ...

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान

- यह इसरो द्वारा निर्मित मिनी रॉकेट लॉन्चर है जिसे विशेष रूप से छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं (LEO) में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह 500 किलोग्राम वजन तक के पेलोड (मिनी, माइक्रो या नैनोसेटेलाइट्स) को 500 किमी प्लानर ऑर्बिट (planar orbit) में ले जा सकता है।
- एसएसएलवी की 34 मीटर ऊंचाई और तीन चरणों वाला (ठोस प्रणोदन) वाहन है। इसमें दो मीटर व्यास का एक पूर्ण-ठोस चरण वाला हिस्सा है।

एसएसएलवी की प्रमुख विशेषताएं

- इसके निर्माण में इसरो के अन्य प्रक्षेपण वाहन की अपेक्षा कम लागत आती है।
- इसको इंटिग्रेट होने में मात्र 72 घंटे का समय लगता है तथा इसको एकीकृत करने के लिए मात्र छह लोगों की आवश्यकता होती है।
- कई उपग्रहों को समायोजित करने में न्यूनतम 'लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर' की आवश्यकताएं होती हैं।
- यह यान एक बार में कई माइक्रोसेटेलाइट लॉन्च करने के लिए कई विशेष संरचनाएं बनी है जो इसे माइक्रोसेटेलाइट लॉन्च के लिए सबसे उपयुक्त वाहन बनाती है।
- इसके माध्यम से कई माइक्रोसेटेलाइट को पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में भेजा जा सकता है।

सिविल सेवा परीक्षा हेतु

नवोदित प्रतियोगी रणनीति विशेषांक

"सही समय पर सामान्य रणनीति से की गई तैयारी भी आपको सफलता दिला सकती है, परन्तु गलत समय पर विशिष्ट रणनीति, आपको असफलता की तरफ ले जा सकती है।" इसलिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय और रणनीति का अत्यधिक महत्व है।

कोई विद्यार्थी जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करता है, तब उसके मन में इस परीक्षा की तैयारी को लेकर कुछ बुनियादी प्रश्न होते हैं। सिविल सेवा की तैयारी में परिपक्वता तभी आती है, जब अभ्यर्थी को इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आम तौर पर विभिन्न मार्गदर्शक, अभ्यर्थी को उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों से तो अवगत करा देते हैं, परन्तु इन चुनौतियों, बुनियादी प्रश्नों या शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते। अभ्यर्थियों की इन्हीं चुनौतियों व प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम इस विशेष सामग्री के तहत सिविल सेवा की तैयारी के लिए समाधान-उन्मुख रणनीति प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रॉनिकल का यह विशेषांक आपको IAS, IPS, IFS आदि पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने की दिशा में एक उचित रणनीति के विकास में मददगार होगा।

सफलता कोई आश्चर्य नहीं है

यह कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सकारात्मक दृष्टिकोण की परिणति है

किसी भी व्यक्ति का जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह वास्तविकता एवं दृढ़ता के किस तल पर जाकर सपने देखता है। वैसे तो हम प्रतिक्षण और प्रतिदिन किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसे पूरा करने की दिशा में प्रयास करते हैं। किंतु, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य किसी विशेष सपने को पूरा करने की प्रक्रिया का भाग हैं अथवा नहीं।

सपनों को देखने तथा उन्हें पूरा करने में एक विशिष्ट अंतर यही है कि **दृढ़ व्यक्ति, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने तक एक विशिष्ट अभिप्रेरणा से ओतप्रोत रहता है और उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में यह अभिप्रेरणा उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शित करती है।** सिविल सेवा में जाना तथा एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना गर्व तथा सम्मान की बात है। देश की विकास प्रक्रिया में सिविल सेवाओं की बढ़ती प्रासंगिकता तथा लंबे समय से इनके योगदान के कारण इन सेवाओं को रोजगार तथा कैरियर के उद्देश्य से भी बेहतर माना जाता है। अपने स्कूली तथा कॉलेज जीवन के समय भारत के अनेक छात्र सिविल सेवक बनने का सपना देखते हैं। इनमें से कुछ छात्र अपनी क्षमता, प्राप्त मार्गदर्शन तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं।

अध्ययन अथवा तैयारी की प्रक्रिया में एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शन करने वाले अन्य विशेषज्ञों के सुझावों को आधार बनाते हुए परीक्षार्थी अपनी परीक्षा की रणनीति बनाने का प्रयास करता है। **इस परीक्षा की खास विशेषता यही है कि इसमें सफल होने के लिए कोई भी निश्चित पैमाना अथवा मानक रणनीति नहीं है।** ऐसी स्थिति में अलग-अलग परिवेश से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक निश्चित एवं विशिष्ट रणनीति का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

सामान्य रूप से एक अभ्यर्थी को आरंभिक स्तर पर ही अनेक ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, जिनका उत्तर प्राप्त होने पर उसे आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है। ये प्रश्न हैं-

- ✧ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कब आरंभ करनी चाहिए?
- ✧ इस परीक्षा में सफल होने के लिए नियमित रूप से कितनी देर पढ़ाई की जानी चाहिए?
- ✧ पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है?
- ✧ पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न विषयों को पूरा करने के लिए किन मानक पुस्तकों को आधार बनाया जाना चाहिए?
- ✧ NCERT पुस्तकों से शुरुआत करनी चाहिए या नहीं?
- ✧ NCERT पुस्तकों को पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए?
- ✧ प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की रणनीति एक हो अथवा इन्हें अलग-अलग समय पर तैयार किया जाना चाहिए?
- ✧ उत्तर लेखन कब आरंभ करना चाहिए?
- ✧ साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जाए? आदि।

अभ्यर्थी के मन में उठने वाले प्रश्नों की व्यापकता तथा इनकी गंभीरता एक सामान्य परीक्षार्थी को भ्रम की स्थिति में ले जाने के लिए पर्याप्त है। बाजार में उपलब्ध अलग-अलग मार्गदर्शन तथा विविध प्रकार की अध्ययन सामग्री एक तरह से चुनौतियों में वृद्धि करने का ही कार्य करते हैं। इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आती है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए एक उचित रणनीति क्या होनी चाहिए? अथवा, परीक्षार्थी को अपनी अध्ययन योजना किस प्रकार निर्मित करनी चाहिए जिससे वह भटकाव के बिना सिविल सेवा परीक्षा की दीर्घकालिक प्रक्रिया को पार करते हुए परीक्षा में सफल हो सके? परीक्षा की रणनीति के निर्धारण से पूर्व परीक्षार्थी को यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में रणनीति किसे कहते हैं अथवा वे कौन से अवयव हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की रणनीति में शामिल किए जाने चाहिए। रणनीति के अवयवों का निर्धारण हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गए इस विशेष खंड में वर्णित किए गए प्रश्नों के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का आधार अत्यंत व्यापक है और यदि परीक्षार्थी अपनी तैयारी से पूर्व इन प्रश्नों के स्वरूप को समझ लेता है तथा इनके उत्तर प्राप्त कर लेता है तो यह कहा जा सकता है कि वह अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा में निश्चित एवं कम समय में सफल हो सकता है।

परीक्षा के तीन चरणीय स्वरूप तथा वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह धैर्यपूर्वक अपना अध्ययन जारी रखे। पाठ्यक्रम की गंभीरता तथा विशालता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए व्यक्ति में धैर्य एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। धैर्य इस परीक्षा में अभ्यर्थी को स्वयं के अध्ययन स्तर का मूल्यांकन करने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त बने रहने में मदद करते हैं। अमेरिकी लेखक तथा बिजनेसमैन **'जिग जिग्लार'** का एक महत्वपूर्ण कथन है- **"योग्यता नहीं बल्कि आपका दृष्टिकोण जीवन में आपकी ऊंचाइयों को निर्धारित करेगा।"** अत: एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी को अपने दृष्टिकोण में अत्यंत स्पष्ट रहना चाहिए तथा परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक बने रहना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि जीवन में निर्धारित किए गए किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सफलता की चाहत रखने वाले लोगों को अभिप्रेरित करने वाली यह उक्ति कि **"सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता"** सिविल सेवा की तैयारी के संदर्भ में सटीक बैठती है।

एक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि इस परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण यह पता लगाना है कि **"क्या पढ़ा जाना चाहिए"** उतना ही महत्वपूर्ण यह भी पता करना है कि उसे **"क्या नहीं पढ़ना चाहिए"**। अध्ययन सामग्री के दृष्टिकोण से इस प्रकार का चयन **'स्मार्ट स्टडी'** का अभिन्न अंग माना जाता है। कठिन परिश्रम के साथ-साथ 'स्मार्ट स्टडी' भी एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होती है। इससे उसे **समय प्रबंधन** में मदद मिलती है तथा वह इस मर्म को बेहतर रूप से समझ जाता है कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए **बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने से अधिक बेहतर है कि कुछ मानक पुस्तकों को बार-बार बार पढ़ा जाए।** चयनात्मक अध्ययन सामग्री से समय प्रबंधन तथा अध्ययन को गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायता मिलती है। पुन: यह कहना अधिक सार्थक होगा कि एक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की तैयारी के दौरान **अध्ययन की मात्रा (अधिक पढ़ने) की तुलना में अध्ययन की गुणवत्ता को महत्व दिया जाना चाहिए।**

गुणवत्तापूर्ण अध्ययन से अभ्यर्थी में आरंभिक स्तर से ही विषयों की संकल्पनात्मक एवं आधारिक समझ विकसित हो सकती है। तैयारी की संपूर्ण प्रक्रिया में अध्ययन का दृष्टिकोण इस प्रकार होना चाहिए, जिससे एक परीक्षार्थी में समालोचनात्मक विचार उत्पन्न हो सकें तथा उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो सके। ऐसे गुणों के विकास से अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तथा चयन के पश्चात सेवा के दौरान कार्य निष्पादन में मदद मिलेगी। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले परीक्षार्थी अलग-अलग राजनैतिक एवं सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं। अभ्यर्थी को तैयारी के दौरान सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि वह उपर्युक्त पूर्वाग्रहों का त्याग कर सके। प्रत्येक विवाद तथा राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में अभ्यर्थी को एक **संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए**, जैसा कि एक सिविल सेवक अथवा प्रशासनिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है। अनेक विशेषज्ञों के अनुभवों से यह बात सिद्ध होती है कि **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक योग्य तथा जागरूक नागरिक बनने में भी सहायता करती है।** तैयारी की गंभीरता अथवा इसके बोझिलपन से बचने के लिए परीक्षार्थी को **नियमित रूप से अपना स्व-मूल्यांकन करना चाहिए।** तैयारी की संपूर्ण प्रक्रिया में अभ्यर्थी को अपनी रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए तथा लगातार ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए, जिससे उसमें जीवंतता बनी रहे। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी व्यावसायिक कुशलता के आधार पर एक दायित्व के रूप में की जानी चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो उचित मार्गदर्शन, उपयुक्त रणनीति, चयनात्मक अध्ययन सामग्री, धैर्य, लगन तथा कठोर परिश्रम इस परीक्षा की तैयारी के लिए अनिवार्य पहलू हैं। सजग तथा सतत प्रयासों के साथ नियमित रूप से निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों को पूरा करके अंतत: सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

शुरुआत कैसे करें?

"हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने के लिए आपका खुद का संकल्प किसी और कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है।" –अब्राहम लिंकन

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। एक प्रसिद्ध उक्ति यह है कि 'सपने भी उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं।' स्वतंत्र इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत अत्यंत निम्न होने के कारण प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस परीक्षा में सफलता के लिए परीक्षार्थी में अधिक से अधिक मेहनत करने की क्षमता के साथ उसके पास कुशल मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि अनेक छात्र कम उम्र में ही बेहतर मार्गदर्शन के आधार पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

इंटरनेट तथा कंप्यूटर तकनीकी के प्रयोग की बढ़ती भूमिका के साथ बच्चों के जन्म के साथ ही व्यक्तिगत मार्गदर्शन (Personal Guidance) के माध्यम से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट (Personality Development) तथा व्यावसायिक गुणों (Professional Skills) के विकास की ओर व्यापक रुप से ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट के साथ सिविल सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयोग देखे जा रहे हैं जहां बच्चों को कोचिंग तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर ही मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है जिससे कम समय में बच्चों की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

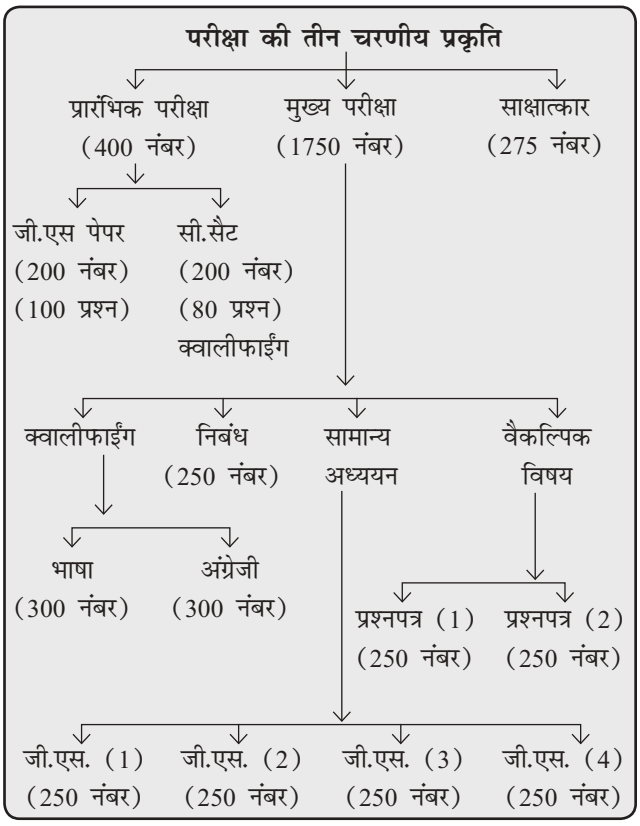

सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु तथा सामान्य ग्रेजुएशन डिग्री धारक को योग्यता का आधार बनाया है। परीक्षा का आयोजन प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination), मुख्य परीक्षा (Mains Examination) तथा व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test) के रूप में 3 चरणों में किया जाता है।

परीक्षार्थी को स्वयं को तीनों चरणों के लिए तैयार करना होता है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 08 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं, इनमें से लगभग 3.50 लाख छात्र प्रारंभिक तथा लगभग 15 हजार छात्र मुख्य परीक्षा में बैठते हैं।

अंतिम रूप से चयनित 800-1000 छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) तथा विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सेवाओं का आवंटन किया जाता है।

सिविल सेवा में जाने के इच्छुक छात्रों तथा प्रतियोगियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी क्षमताओं की पहचान करें। वर्तमान चर्चा में छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न चरणों के माध्यम से उचित रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। छात्र अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुए इनमें से उपयुक्त रणनीति को अपना सकते हैं।

प्रारंभिक स्तर (For Beginners) पर शुरुआत किस प्रकार की जाए?

आरंभिक स्तर पर योग्यता को पूरा करते हुए पाठ्यक्रम की संपूर्ण समझ का विकास अत्यंत आवश्यक है। तैयारी आरंभ करते समय सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम (Syllabus) को सतत रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- ✧ प्रतियोगी छात्रों का सर्वप्रमुख कार्य इस परीक्षा के पाठ्यक्रम से अवगत होकर पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए अपनी तैयारी हेतु एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण करना है।
- ✧ इस क्रम में, अपनी तैयारी के स्तर का समय-समय पर मूल्यांकन तथा समय प्रबंधन का ध्यान रखना भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का अभिन्न अंग माना जाता है।

12वीं अथवा उसके पूर्व तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए?

बच्चों की रुचियों एवं उनकी क्षमताओं को देखते हुए 12वीं कक्षा से पहले ही उन्हें सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

विशेषज्ञ सलाह

वैकल्पिक विषय हेतु रणनीति

दर्शनशास्त्र

धर्मेन्द्र सर
निदेशक : पतंजलि आईएएस

प्र. इस वैकल्पिक विषय के चयन का आधार क्या होना चाहिए?

उत्तर: सिविल सेवा में 40 से अधिक वैकल्पिक विषय उपलब्ध हैं, जिनमें से कोई एक विषय अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से चुन सकता है। वैकल्पिक विषय के चुनने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस छोटा एवं स्पष्ट हो, अंकदायी एवं रुचिकर हो तथा उस पेपर के साथ सफल अभ्यर्थियों के साक्ष्य उपलब्ध हों। साथ ही साथ इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह विषय सामान्य अध्ययन के विभिन्न प्रश्न-पत्रों और निबंध (250 अंक) में कितना लाभकारी है। इन सारे बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए तो फिर दर्शनशास्त्र एक लोकप्रिय विषय के रूप में उभरकर सामने आता है।

प्र. इस वैकल्पिक विषय के चयन से पूर्व 'स्वयं का आकलन' कैसे करें?

उत्तर: दर्शनशास्त्र विषय एक समझ आधारित विषय है। यदि आपके रटने की प्रवृत्ति नहीं है, लाखों तथ्यों को याद करने में कठिनाई होती है तो फिर आप इस विषय का चयन कर सकते हैं। यह एक वैचारिक विषय है जिसमें विषयवस्तु को समझकर लिखना होता है। आप इस विषय के चयन से पूर्व स्वयं का आकलन करने के लिए आरम्भ के किसी एक टॉपिक को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों को देखकर, हल कर निर्णय ले सकते हैं।

प्र. सिविल सेवा परीक्षा में उक्त वैकल्पिक विषय की सफलता का अनुपात क्या है? क्या यह एक सुरक्षित वैकल्पिक विषय है?

उत्तर: सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न वैकल्पिक विषयों की सफलता का अनुपात निश्चित नहीं है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। पिछले एक दशक में दर्शनशास्त्र के साथ सफलता की दर लगभग 5-10 प्रतिशत के बीच रही है। 2012 में हिन्दी माध्यम के प्रथम तीन टॉपरों में दो दर्शनशास्त्र के साथ थे। 2015 में अतहर आमिर ने सिविल सेवा में दर्शनशास्त्र के साथ द्वितीय रैंक प्राप्त की थी।

प्र. इस विषय को तैयार करने में किस प्रकार की रणनीति का पालन किया जाना चाहिए?

उत्तर: दर्शनशास्त्र की तैयारी के लिए व्यापक एवं चयनित दोनों प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों एवं टॉपिक्स पर विशेष बल दें, क्योंकि वहां से लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे- शंकर और काण्ट आदि। चूंकि ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर 150-200 शब्दों तक लिखना होता है अत: यदि किसी टॉपिक्स की सामान्य अपेक्षित जानकारी भी है तो फिर प्रश्नों का उत्तर सरलता से लिखा जा सकता है।

प्र. क्या इस वैकल्पिक विषय के लिए पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है?

उत्तर: अध्ययन सामग्री की दृष्टि से देखा जाए तो दर्शनशास्त्र विषय की हिन्दी माध्यम में न केवल उत्तम पुस्तकें उपलब्ध हैं, बल्कि हमारे संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे नोट्स भी प्रामाणिक, गुणवत्तापूर्ण एवं सारगर्भित रूप से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज कराते हैं। पतंजलि IAS के क्लास नोट्स एवं प्रिंटेड नोट्स तथा पिछले वर्ष के प्रश्नों का विषयवार संग्रह एवं मॉडल उत्तर दर्शनशास्त्र की तैयारी के लिए पर्याप्त है।

प्र. क्या इस विषय के शिक्षक उपलब्ध हैं?

उत्तर: दर्शनशास्त्र विषय के लिए पतंजलि IAS निर्विवाद रूप से भारत का अग्रणी शिक्षण संस्थान है। पिछले 22 वर्षों में बड़ी संख्या में न केवल अभ्यर्थी सफल हुए हैं, बल्कि अतहर आमिर (द्वितीय रैंक), किरण कौशल (तृतीय रैंक), जय प्रकाश मौर्य (नौवी रैंक), जितेन्द्र कुमार सोनी, गोविन्द जायसवाल, भानुचन्द गोस्वामी, जैसे अनेकों छात्रों ने उच्च रैंक भी हासिल की है।

प्र. इस विषय को तैयार करने के लिए किन मानक पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए?

उत्तर: दर्शनशास्त्र विषय के विभिन्न खण्डों के लिए मानक पुस्तकें उपलब्ध हैं; जैसे- भारतीय दर्शन के लिए- दत्त एवं चटर्जी या राममूर्ति पाठक जी की किताब, 'पाश्चात्य दर्शन' तथा 'सामाजिक-राजनीतिक दर्शन' के लिए ओ.पी. गाबा, धर्मदर्शन के लिए शिवभानु सिंह या वी. पी. वर्मा की किताब ली जा सकती है। पंतजलि संस्थान के प्रिंटेड नोट्स में विभिन्न पुस्तकों के उन्नत पक्षों का समुचित समन्वय विद्यमान है।

साक्षात्कार

बमबम कुमार

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (LEO)
66वीं बीपीएससी परीक्षा

बमबम कुमार
66वीं बीपीएससी परीक्षा

जीवन परिचय

पिता : सूर्य नारायण मंडल, किसान
माता : रानी देवी, गृहणी
शैक्षणिक योग्यता : M. Tech, IIT (ISM) DHANBAD
अन्य योग्यताएं: Gate Qualified
अभिरुचियां : वंचित बच्चों को पढ़ाना व मार्गदर्शित करना
आदर्श व्यक्ति : पिता
सकारात्मक : सहनशीलता, समस्या समाधान कौशल
नकारात्मक पक्ष : अधिक सोचना
पूर्व चयन : एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 'एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफीसर'
वैकल्पिक विषय : इतिहास

सि.स. क्रॉनिकल: बीपीएससी में शानदार सफलता के लिए आपको हार्दिक बधाई. आपकी सफलता में परिवार, मित्रों व शिक्षकों का सहयोग कैसा रहा? आपकी पृष्ठभूमि ने आपकी सफलता में किस प्रकार योगदान किया?

बमबम कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी व्यक्ति की सफलता में परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण होता है। मेरी सफलता में खासकर मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। जिस परिस्थिति में रहकर उन लोगों ने मुझे पढ़ाने का सपना देखा था, वो गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। उनकी ऐसी सोच और संघर्ष की वजह से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। हालांकि जीवन में अच्छे मित्र और मार्गदर्शक (शिक्षक) का होना अनिवार्य है, और मैं इस मामले में भी भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिलता रहा है।

जहां तक पृष्ठभूमि की बात है तो मेरे पिता किसान हैं, मैंने उनका संघर्ष बचपन से देखा है जिसने मुझे निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

सि.स. क्रॉनिकल: आपने परीक्षा की तैयारी आरंभ कैसे की? तैयारी आरंभ करते समय आपने किन पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया? परीक्षा की तैयारी शुरू करने का आदर्श समय क्या होना चाहिए?

उत्तर: M.Tech करने के बाद मैंने एक संस्थान में पढ़ाना शुरू किया। परंतु मन में था कि एक बार सिविल सेवा परीक्षा देनी चाहिए। मैंने BPSC की तैयारी के लिए पटना में ही परफेक्शन आईएएस जॉइन किया और यहीं से परीक्षा की तैयारी आरंभ हुई। तैयारी आरंभ करने से पहले मैंने पाठ्यक्रम को अच्छे से देखा और उसी के अनुसार मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को चिह्नित कर पढ़ना शुरू किया।

वैसे तो परीक्षा शुरू करने का कोई मानक समय नहीं होता है। इस परीक्षा की तैयारी कोई स्नातक के पहले भी शुरू कर सकता है, कोई स्नातक के बाद भी। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने M.Tech के 2 साल बाद तैयारी शुरू की।

सि.स. क्रॉनिकल: भाषा माध्यम के कारण क्या आपको कोई लाभ हुआ? क्या आप मानते हैं कि अंग्रजी भाषी लाभप्रद स्थिति में होते हैं?

उत्तर: भाषा माध्यम के बारे में, मैं यह कह सकता हूं कि आप जिस भाषा में सहज हैं वह ले सकते हैं। मैंने हिन्दी माध्यम में परीक्षा दी, क्योंकि मुझे लगता था मैं हिन्दी भाषा में अपनी बातों को सहजता से व्यक्त कर सकता हूं। आपको लगता है कि आप अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने में अधिक सहज हैं तो अंग्रेजी से ही दीजिए, दोनों भाषाएं अपनी जगह सही हैं।

सि.स. क्रॉनिकल: आपका वैकल्पिक विषय क्या था? इसके चयन का आधार क्या था? क्या वैकल्पिक विषय के चयन में आपने कथित लोकप्रियता को भी आधार बनाया?

उत्तर: मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास था। वैकल्पिक विषय के चयन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपकी उस विषय में रुचि। फिर आप इतिहास को देखेंगे तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के GS-I में इतिहास से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। यही मेरा आधार था। मैंने लोकप्रियता को आधार नहीं बनाया।

सि.स. क्रॉनिकल: परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी के लिए आप कितना समय उपयुक्त मानते हैं? तीनों चरणों की तैयारी में आपकी समय की रणनीति एक जैसी रही या उसमें बदलाव भी किए?

उत्तर: परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी के लिए जहां तक समय की बात है तो 1 वर्ष में हो सकता है, हालांकि अलग-अलग छात्रों के लिए यह अवधि घट या बढ़ भी सकती है।

परीक्षा के तीन चरण प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण, तीनों की अलग-अलग मांग है इसलिए रणनीति भी अलग-अलग ही होगी। प्रारंभिक के लिए मैंने तथ्यों पर ज्यादा ध्यान दिया और बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। हालांकि तीनों में समानता यह है कि जो चीजें आप प्रारंभिकी के लिए पढ़ते हैं वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी लाभदायक होते हैं।

सि.स. क्रॉनिकल: मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन की अहमियत बढ़ा दी गई है। इसे पूरी तरह कवर करने व अच्छी तरह तैयार करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? परीक्षा भवन में प्रश्नों को हल करने के लिए क्या आपने कोई विशेष रणनीति अपनाई?

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, 2022

राज्य विशेष : अति संभावित प्रश्न

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए हम इस खंड के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत पूछे जाने वाले राज्य विशेष से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके हल प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री प्रतियोगियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

1. उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों एवं यहां से प्राप्त वस्तुओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: प्रदेश के विभिन्न भागों से विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से इस काल का अध्ययन किया जाता है।

- **आलमगीरपुर:** मेरठ जिले का आलमगीरपुर हिण्डन नदी के तट पर स्थित है तथा इस पुरास्थल की खोज 'यज्ञदत्त शर्मा' द्वारा की गयी है। यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। यह स्थल सैंधव सभ्यता की अन्तिम अवस्था को सूचित करता है। यहां मिट्टी के बर्तन, मनके, रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं।
- **कालपी:** उत्तर प्रदेश के कालपी से प्रागैतिहासिक पुरास्थल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालपी के यमुना नदी के तट पर पुरातत्वविदों द्वारा एक जगह की खोज की गई है, जहां मानव बस्तियों के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालपी में पुरातत्व स्थल से प्रागैतिहासिक व्यक्ति की हड्डियों, जीवाश्मों और प्रारंभिक औजारों से भरे हुए हैं।
- **सनौली:** उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली गांव में कंकालों और तांबे के बर्तनों की खोज की गई है। यहां से रथ, ताबूत, बर्तन, कंकाल, तांबे का हेलमेट आदि मिले है, जो 2000 ईसा पूर्व के हैं। कार्बन डेटिंग परीक्षणों ने पुष्टि की है, कि ये वस्तुएं (रथ, मशाल, तलवार, अत्यधिक सजाए गए ताबूत और हेल्मेट) 4,000 वर्ष पुरानी हैं। अधिकांश लकड़ी की कलाकृतियां तांबे के तारों से स्तरित है जिसके कारण लगभग 4,000 वर्ष बाद भी विघटित नहीं हुए हैं।
- **जाजमऊ:** यह कानपुर का एक अलग उपनगर है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई द्वारा प्राचीन मिट्टी के बर्तनों, ऐतिहासिक वस्तुओं और औजारों की खोज की गई है। वर्तमान में वे कानपुर संग्रहालय में संरक्षित हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त ऐतिहासिक कलाकृतियों से पता चलता है, कि वे लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व की अवधि के हैं।

अन्य प्रमुख स्थलों में बिसौली, राजपुर परसू, मथुरा, इटावा और सहारनपुर के विभिन्न स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के तांबे के वस्तुओं के भंडार प्राप्त हुए हैं।

2. भारत की कला एवं संस्कृति के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान की विवेचना कीजिए।

उत्तर: मानव सभ्यता के विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों, जैसे वास्तुशिल्प, नृत्य, भाषा आदि का विकास हुआ है। वैदिक साहित्य एवं महाकाव्य (जैसे रामायण और महाभारत आदि) के बड़े हिस्सों को प्रदेश के कई आश्रमों में संहिताबद्ध किया गया है। 1947 के बाद से भारत सरकार द्वारा चार सिंह युक्त स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, जो मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ पर आधारित है।

- यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है और माना जाता है, कि गुप्त काल में संगीत समृद्ध हुआ। संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ।
- वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य और हिंदी व उर्दू भाषाओं के विकास उत्तर प्रदेश में विभिन्न कालों में हुआ। मुगल काल में भारतीय कला एवं संस्कृति का काफी विकास हुआ तथा उत्तर प्रदेश काफी समय तक इनके प्रशासन के केंद्रबिंदु में रहा। इस काल के 'इंडो-इस्लामिक' वास्तुशिल्प के कई बेहतर कलाकृतियां आगरा, सिकंदरा आदि स्थलों से प्राप्त होता है।
- तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात हैं। भारतीय संगीत के प्रसिद्ध वाद्य, सितार और तबले का विकास इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन व मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।

हिंदी भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश के विभिन्न व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-85) उन अग्रणी लेखकों में से थे, जिन्होंने हिंदी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया। इसने खड़ी बोली के वर्तमान स्वरूप या साहित्यिक हिंदी के विकास को बल प्रदान किया। उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा अवधी एवं ब्रज ने **'साहित्यिक हिंदी'** के विकास में योगदान दिया।

3. उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता तथा रीति-रिवाज प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हैं?

उत्तर: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता तथा रीति-रिवाज भारत में अतुलनीय है जिसके कारण इसके आधार पर पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं व्याप्त हैं। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या आदि स्थलों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विशेषताएं उल्लेखनीय है। दुनिया भर के पर्यटक यहां के सांस्कृतिक विविधता का दर्शन करने आते हैं।

यूपीपीसीएस
मुख्य परीक्षा 2022

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखते समय विभिन्न विषयों एवं मुद्दों से संबंधित संवैधानिक महत्व के न्यायिक निर्णयों का उल्लेख अत्यधिक अंकदायी साबित हो सकता है। साथ ही ये ऐतिहासिक निर्णय प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अति महत्त्वपूर्ण होते हैं। यूपीपीसीएस की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हम यह अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं।

आधारभूत ढांचे का सिद्धांत

वाद	निर्णय	महत्वपूर्ण बिंदु	प्रभाव
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और बिहार राज्य, 1951	♦ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है।	♦ यह मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन की संसद की शक्ति के संबंधित है। ♦ इसमें पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 को चुनौती दी गई थी। ♦ संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि यह संविधान के भाग III का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए।	♦ इस मामले ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति पर बहस को बढ़ाया। संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के विकास में यह मामला प्रस्थान बिंदु है।
आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967	♦ इस मामले में मूल प्रश्न था कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ♦ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलटते हुए यह निर्णय दिया कि संसद् अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती है।	♦ यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था, जिसमें 6 न्यायाधीश बहुमत में थे और 5 अल्पमत में थे। ♦ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में भी उच्चतम न्यायालय शंकरी प्रसाद वाले निर्णय पर दृढ़ रहा।	♦ गोलकनाथ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रियास्वरूप संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम, (1971) पारित कर निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973	♦ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना को परिभाषित किया। ♦ न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। ♦ न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।	♦ अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। ♦ 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। ♦ साथ ही, न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिये संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को भी पारित कर दिया। ♦ इसमें कहा गया कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है, जो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता हो।	♦ न्यायपालिका ने जो आधारभूत लक्षण का सिद्धांत बनाया था, उसे निरस्त करने के लिए 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 पारित किया गया। ♦ इसके द्वारा अनु. 368 में खंड (4) अन्त:स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) की शक्ति को समाप्त करना था। ♦ इस खंड में यह अधिनियमित किया गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है तथा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	♦ सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड (4) विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था।	♦ इस मामले में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में किए गए बदलावों पर फैसला सुनाया गया और उन्हें मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया।	♦ 42वें संविधान संशोधन ने संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार प्रदान किया था। यहां तक कि संसद को संविधान को फिर से लिखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी।